न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद, जिला कोटा

मि0 न0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
198 / 2025	10.12.2025	17.02.2026

पीठासीन अधिकारी – श्री दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

फुलन्ता पुत्री मांगीलाल पत्नि कुन्दन उम्र 35 साल निवासी मीणा निवासी खेड़ली परसराम हाल निवास पीपल्दा बीरम तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादनी की और से :– श्री रामबाबू दाधिच एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्ती

–: निर्णय :–

वादिया ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम खेड़ली परसराम तहसील दीगोद जिला कोटा में वादनी के शामलाती खातों में खाता संख्या 96 नया 96 पुराना की खसरा संख्या 106 रकबा 10.62 है0, खसरा संख्या 339 रकबा 0.32 है0 कुल 2 किता रकबा 0.94 है0 भूमि शामलाती खातेदारी में स्थित चली आ रही है जिसमें वादनी का नाम फुलन्ता दर्ज है जमाबन्दी सम्वत 2073–2077 संलग्न है। यह की उक्त आराजी में वादनी का नाम फुलन्दा दर्ज कर दिया गया है जबकि वादनी का समस्त दस्तावेजों में वादनी का नाम फुलन्ता बाई है। जिससे वादनी को सरकारी योजनाओं में किसान केडिट कार्ड आदि लेने में परेशानी आ रही है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। यह कि उक्त वादनी का नाम आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, पेन कार्ड, बैंक डायरी आदि में वादनी का नाम फुलन्ता बाई अंकित है। उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम फुलन्दा दर्ज से सरकारी योजनाओं का लाभ व भूमि सुधार के लिए किसान केडिट कार्ड व मुआवजा इत्यादि लेने से वंचित हो रही है। वादनी को दस्तावेजों के आधार पर अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में लिखवाने का कानूनन अधिकार है इसलिए वादनी का नांम दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। यह कि प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा ग्राम खेड़ली परसराम की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादनी का नाम फुलन्ता बाई के स्थान पर फुलन्दा दर्ज कर दिया है उपरोक्त वादनी को भविष्य में

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

काफी परेशानी होगी तथा ऋण आदि की सुविधा भी प्राप्त नहीं कर सकेगी। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादनी का नाम फुलन्दा के स्थान पर फुलन्ता बाई अंकित करना आवश्यक हो गया है इस संबंध में वादनी ने प्रतिवादी से दिनांक 26.11.2025 को निवेदन करने पर उन्होनें कोई ध्यान नहीं दिया और मना कर दिया। जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

अतः वादी ने निवेदन किया है कि ग्राम खेड़ली परसराम तहसील दीगोद जिला कोटा में वादनी के शामलाती खातों में खाता संख्या 96 नया 96 पुराना की खसरा संख्या 106 रकबा 10.62 है0, खसरा संख्या 339 रकबा 0.32 है0 कुल 2 किता रकबा 0.94 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम फुलन्दा के स्थान पर फुलन्ता बाई दर्ज किये जाने और राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने की प्रतिवादी के विरूद्व आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी विधिवत करवायी गयी। प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद की और से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में वादी का नाम फुलन्दा के स्थान पर फुलन्ता बाई दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गयी है। प्रकरण को बहस पर नियत किया गया।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया ग्राम खेड़ली परसराम तहसील दीगोद जिला कोटा मे वादनी के शामलाती खातों में खाता संख्या 96 नया 96 पुराना की खसरा संख्या 106 रकबा 10.62 है0, खसरा संख्या 339 रकबा 0.32 है0 कुल 2 किता रकबा 0.94 है0 भूमि में वादनी का नाम फुलन्दा के स्थान पर फुलन्दा उर्फ फुलन्ता बाई दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नही रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ़्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2026 को सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दीगोद

डिक्री मुकदमा
(आ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

उनवान

फुलन्ता पुत्री मांगीलाल पत्नि कुन्दन उम्र 35 साल निवासी मीणा निवासी खेड़ली परसराम हाल निवास पीपल्दा बीरम तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादनी की और से :– श्री रामबाबू दाधिच एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्ती

मिसल नम्बर

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ श्री दीपक महावर आर.ए.एस बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मिनजानिब मुद्दालयह न्यायालय में पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम खेड़ली परसराम तहसील दीगोद जिला कोटा में वादनी के शामलाती खातों में खाता संख्या 96 नया 96 पुराना की खसरा संख्या 106 रकबा 10.62 है0, खसरा संख्या 339 रकबा 0.32 है0 कुल 2 किता रकबा 0.94 है0 भूमि में वादनी का नाम फुलन्दा के स्थान पर फुलन्दा उर्फ फुलन्ता बाई दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनाम	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

सहायक कलक्टर
दीगोद

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)